


उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-5  
संख्या-1131 / पाँच-5-2020  
लखनऊ दिनांक: 20 मई, 2020  
कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र संख्या-एन0एच0एस0आर0सी0/20-21/ई0डी0सेक0/कोविड-19/05, दिनांक 28.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, एपिडेमिक एकट-1897 (अधिनियम संख्या: 03, वर्ष 1897) की धारा-2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को एतद्वारा डेडिकेटेड “कोविड-19” एल-2 चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	चिकित्सालय एवं जनपद का नाम	शैय्या की संख्या	वेंटीलेटर की सं0
1.	श्रीनाथ मेडिसिटी, बरेली	95	5
2.	शाही ग्लोबल अस्पताल, गोरखपुर	100	6
3.	गुरु तेगबहादुर अस्पताल, कानपुर नगर	60	5
4.	कॉसमॉस हॉस्पिटल, मुरादाबाद	120	10

2- उक्त निजी चिकित्सालय संबंधित जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर चिकित्सालय को कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों (भर्ती रोगियों को डिस्चार्ज करन, अन्य चिकित्सालयों में स्थानान्तरित करने, चिकित्सालय परिसर को सैनेटाइज करने एवं कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता) के अनुसार तैयारियां पूर्ण कर लेंगे। कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार तथा उपचार के उपरान्त चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

  
 (अमित मोहन प्रसाद)  
 प्रमुख सचिव।

संख्या-1131 (1) / पाँच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मण्डलायुक्त, बरेली, गोरखपुर, कानपुर एवं मुरादाबाद मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- जिलाधिकारी, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संबंधित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( वेद प्रकाश राय )

अनु सचिव।

१८८  
२०६५/८०७  
२३०१२  
२००५/८०८